

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला
हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० 263/2025

1. सिलोचना पत्नी मदनसिंह जाति जाट निवासी 12 डीबीएल डबलीकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादीया

- 1 मदनसिंह पुत्र श्री मंगतुराम } बनाम्
2 मोहित बुरडक पुत्र मदनसिंह } जाति जाट निवासीयान 12 डीबीएल
3 श्रीमति साक्षी पुत्री मदनसिंह पत्नी आनन्द गोदारा जाति जाट निवासी हनुमानगढ़।
तहसील व जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक 17/9/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सुभाषगर्ग व प्रतिवादी वकील करनैलसिंह अंतिमनिपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है चक नं० 12 डीबीएल के खाता सं० 70/63 में अंकित 3.592 है० आराजी में से प्रतिवादी सं० 1 के 1/2 हिस्सा की आराजी की वादीया खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं० 12 डीबीएल के खाता सं० 70/63 में से मदनलाल उर्फ मदनसिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है चकनं० 10 डीबीएल के खाता सं० 38/27, चकनं० 8 एम. जैड डबल्यू के खाता सं० 99/79 तथा चकनं० 12 डीबीएल के खाता सं० 69/44 में दर्ज प्रतिवादी सं० 1 का नाम मदनलाल उर्फ मदनसिंह को दुरुस्त कर सही नाम मदनसिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं जमाबंदी में गै०मु० रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/9/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(सत्यनारायण आर.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।